

कार्यालय गन्ना विकास परिषद, बहेड़ी (बरेली)

पत्रांक 1623/C / निर्माण / दिनांक 16-03-2018

अति अलकालीन निविदा आमंत्रण सूचना (ई-प्रोक्वोरमेन्ट सूचना)

गन्ना आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ की ओर से मंत्री, गन्ना विकास परिषद बहेड़ी जनपद बरेली द्वारा गन्ना विकास विभाग एवं समस्त राजकीय विभागों में सड़क निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न समतुल्य श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रविशत दर व ऑनलाईन <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	कार्य का नाम	लम्बाई (मिटरमीटर)	टेण्डर का मूल्य (लक्षों में)	घराने की संख्या (लक्षों में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (स्टेशनरी+ निविदा मूल्य 18% जी.एस.टी. सहित)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	मंत्री गन्ना विकास परिषद का पता	जिला गन्ना अधिकारी का पता	उप गन्ना आयुक्त का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सूचीकरण-									
1	बंजरिया रोड से मकसूदनपुर मार्ग	1.500	22.00	2.210	500+1000+180	25.03.18	ग.वि.ब.बहेड़ी	जि.ग.ब.बरेली	उ.ग.ब.बरेली

1- ई-प्रोक्वोरमेन्ट माध्यम से निविदा प्रकाशित होने की तिथि 17.03.18
 2- प्रपत्र निविदा के साथ निविदा सूचना की तालिका में कालम नं 6 के अनुसार अनिवार्य रूप से (ऑन रिकवर्ड फॉर) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट के रूप में उपरोक्त धनराशि के लिए जारी किया गया होगा, बरेली के पास में देना हो सफल करना अनिवार्य है। इच्छुक निविदादाता को अधिक जानकारी अति अलकालीन सूचना के किलो भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> से दिनांक 17.03.18 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 22.03.18 अस्तित्व 12:00 बजे तक डाउनलोड की जा सकती है।

3- बिड अग्रपुस्तक को उपलब्धता एवं बिड-समिति करने का माध्यम-
 (क)- बिड अग्रपुस्तक ऑन-लाइन दिनांक 17.03.18 से दिनांक 22.03.18 अस्तित्व 12:00 बजे तक उपलब्ध है जो ऑन-लाइन <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 22.03.18 को अस्तित्व 12:00 बजे तक डाउनलोड किया जाएगा। (ख) फाइनेल बिड दिनांक 22.03.18 को अपराह्न 03:00 बजे से कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी जनपद बरेली में खोली जायेगी।

(ख)- निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जो निशुल्क है। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटल सिगनेचर सॉफ्टवेयर द्वारा जारी की जा रही निविदा सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा दास्ता सम्भव नहीं हो पायेगी।

4- निविदा प्रपत्र के अनुसार प्रोविड बैंक दिनांक 19.03.18 को जिला गन्ना अधिकारी जीलामाता के पास सायं 12:00 बजे दोपहर कार्यालय को जायेगी। जिसमें कार्य से सम्बंधित समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

5- निविदा को पंजीकृत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि निविदादाता द्वारा निर्गमित प्रपत्रों को जिस लिफाफे में बंद कर उपलब्ध कराया जाये उस पर निविदादाता द्वारा केवल बिड आईडी लिखा जाये (जो ऑन-लाइन निविदा समिति करने पर वेबसाइट द्वारा प्रदान की जाती है) एवं कार्य का नाम और अंकित की जायेगी इस लिफाफे पर निविदादाता द्वारा अपना अर्थव्यय अपनी कर्म का नाम अंकित नहीं किया जायेगा। इसके न हुई देरी के लिए निविदा आमंत्रितकर्ता/विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।

6- निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ निम्नांकित प्रपत्र उपरोक्त निविदा के अलग से 09 में देनी होंगी एवं कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी बरेली में दिनांक 22.03.18 अस्तित्व 12:00 बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्धता करने से उपलब्ध करना अनिवार्य है (अन्य किसी कार्यालय में जमा निविदाएं मान्य नहीं होंगी)। ऐसा न किये जाने की दशा में निविदा ऑन रेस्पोन्सिव घोषित कर दी जायेगी। डाक न हुई देरी के लिए निविदा आमंत्रितकर्ता/विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।

(क)- निविदा मूल्य सम्बन्धित मूल डिमांड ड्राफ्ट।
 (ख)- उपरोक्त धनराशि निविदा प्रपत्र (फिंडिंग डाक्यूमेन्ट) में निर्धारित किसी एक रूप में देनी होगी तथा निविदा प्रपत्र से 6 माह तक वैध होनी चाहिए। जोकि मंत्री, गन्ना विकास परिषद बहेड़ी जनपद बरेली के पास में उपलब्ध होगा। बैंक गारंटी मांग नहीं होगी। अनु. जाति/अ. जाति के पंजीकृत ठेकेदारों को धरोहर धन राशि शास. 3465/23.07.08- 41 एनएसए/54 टीसी-111 अनुभाग-7 दिनांक 23.07.08 के अनुसार 2% अनुमानित (धरोहर-5) का 2% की सलान करना अनिवार्य होगा।

(ख)- बिड अग्रपुस्तक के आईडीडी के अनुसार समस्त शर्तें पत्र-मूल में।
 (ख)- निविदा फर्मों का समतुल्य श्रेणी में पंजीकरण की मूल प्रति।

7- आईडीडी का अर्जी के अनुसार कोई निविदाकर्ता गन्ना विकास विभाग में जहाँ उनका सम्बन्धित अथवा उनकी पत्नी का निकट सम्बन्धी (अन्य रक्त संबंधी अथवा उनकी पत्नी) कार्य करने के योग्य नहीं होंगे। निविदादाता द्वारा यह शर्त पत्र में दिशा जायेगी जिससे उसके सम्बन्धियों के नाम तथा उनके पद नाम से उपलब्ध होगा, जो कि गन्ना विकास विभाग के कार्यालय में कार्यरत हो।

अनुसार कोई राजपत्रित अनियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो संवत्सिद्धि की अवधि दो वर्ष के बाद एक ठेकेदारों के काम के लिए प्रतिबंधित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि यह पता चलता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है तो निविदा वापस लेना अनिवार्य है। निविदादाता द्वारा इस आशय का सत्यापन निर्माता के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

9- निविदा से सम्बंधित निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता, ड्राईंग, विशिष्टियां, मापदंडों का विवरण एवं एक ठेके की अन्य शर्तों जिनका ठेकेदार द्वारा पालन किया जाना है को सम्बंधित मंत्री, गन्ना विकास परिषद के कार्यालय में जिनका उल्लेख कॉलेज 08 में किया गया है, किसी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11.00 बजे तक उपरान्त 4.00 बजे तक दिनांक 17.03.18 से दिनांक 21.03.18 तक देखा जा सकता है।

10- निविदादाता को यह पता होना चाहिए कि जो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व कार्यालयिक कार्य पूर्ण की जाय करने के साथ-साथ ही निर्माण कार्यों के सफल भी देख ले, यह समझा जायेगा कि निविदा डालने से पहले उन्हीं कार्यक्षेत्र, स्थानीय दफ्तरों, रखाधिक, विशेष दिक्कों, सविदा शर्तों आदि से परिचित कर लिया है।

11- कोई भी निविदा कार्यालयिक कार्य निरस्त है, निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित है।

12- ऐसे निविदाकारों जो राज्य विधि अधिनियम में पंजीकृत हों, निविदा देने से प्रतिबंधित होंगे (निविदा डालने की योग्य नहीं होंगे)

13- निविदादाता को निविदा की कीमत हेतु निविदा के साथ रु० 100.00 का स्टाम्प पेपर रु० 1.00 वी। स्वीटी टिकट लगाकर हस्ताक्षर युक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।

14- निविदादाता को निविदा के साथ निविदापत्र के संलग्न 3 के अनुसार रु० 100.00 के नॉन-रिटर्नैबल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रश्न पर प्रत्येक प्रश्न और मूल में देना अनिवार्य है।

15- निविदाकारों द्वारा सभी सूचना/आवृत्त निर्धारित प्रश्न (सौदीदी-टी-4, सौदीदी-टी-5, सौदीदी-टी-6) में प्रत्येक निविदा के साथ स्वयं अधिकृत हस्ताक्षरों से सत्यापित कराकर मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (सर्वे निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी)

16- कार्य स्थल की जांचकला के अनुसार मापदंडों में विचलन हो सकता है। जिसके लिए ठेकेदार को जवाब देना होगा।

17- संलग्न सं. 0731/23-07-2007-175(एनओ/अन्य)/08 दिनांक 05.01.2007 के अनुसार निविदा/निविदा सूचना का प्रारंभ अंग्रेजी भाषा में अनुमोदित है। परन्तु निदेशक सूचना एवं सम्पर्क विभाग उज्जैन द्वारा निविदा सूचना को हिन्दी भाषा में भी प्रकाशित की जा सकती है। इसी अर्थ में अंग्रेजी भाषा को निविदा सूचना अंतिम मानी जायेगी।

18- कार्य के दौरान का भुगतान करने समय नियमानुसार जीएसटी, जायकर, सेवर टैक्स एवं अन्य आवश्यक कार्यों की कटौती की जायेगी।

19- कार्य की मापदंड घटावीं या बढ़ावीं जा सकती है।

20- निर्माण कार्य पर उच्च अधिकारियों/T.A.C. द्वारा जांच के दौरान किसी भी प्रकार की वस्तु निकाली है तो उसका जवाब वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

21- अनुमोदित मूल के समय नियमानुसार स्टाम्प पेपर देय होगा।

22- गान्धिनगर अथवा 022/23.12.2012-02 आर्किट/00, टीएस-02 दिनांक 08.06.2012 के आदेशानुसार प्रतिशत कम दर देने पर ठेकेदार को अतिरिक्त जमागत धनराशि निम्न प्रकार देय होगा।

- (A)- 10 प्रतिशत कम दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर।
- (B)- 10 प्रतिशत अधिक दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर।

23- अंत में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक लोक निर्माण अनुभाग 7 दिनांक 8.6.2017 में दिये गये निर्देशों का पालन निविदा दाताओं को करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया है कि ठेकेदारों द्वारा असाध्य परिश्रमों के कारण कार्य को दरे कार्य में देरी आती है अगर ऐसा जानबूझ कर किया जा रहा हो तो निविदा दाता को निविदा को निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध बैंक सिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

24- निविदा दाताओं द्वारा निविदा डालते समय इस बात का ध्यान आवश्यक रखा जाये कि उल्लिखित सभी कार्य इसी कालीन वर्ष में पूरे किये जाने हैं।

25- गन्ना आवृत्त सार से समय-समय पर जारी अथवा जारी किये जाने वाले निर्देशों/आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

26- किसी किसी भी निविदा को कोई कारण बताये बिना अस्वीकृत/निरस्त कर सकता है।

27- निविदा दाता द्वारा समस्त शर्तों में कराये गये पंजीकरण की मूल प्रति उपलब्ध करानी आवश्यक होगी।

28- निविदा सूचना में प्रकाशित कार्यों के लिये डिपॉजिट लाइसेंसिटी समबाधकी कार्य पूर्ण करने की तारीख तिथि से 2 वर्ष बाद तक की होगी।

29- समस्त कार्य तब तक निर्माण विभाग तथा एनओ/अन्य/08 की विस्तृत विशिष्टियों के अनुसार समाप्त किया जायेगा।


30- समस्त दलों में जीएसटी/टीएस को धीरे-धीरे समस्त प्रकार के कर, राजस्व एवं जमाना सम्बन्धित।

31- ठेकेदार को राजस्व भुगतान का संबंधित सब्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा देयक भुगतान के समय अनुमोदित दरों के अनुसार ठेकेदार के हित से काटो जायेगी।

32- जमान-टाईन सिस्टम में रुकावट होने पर अनापेक्षित देरी के लिये निविदा आमंत्रक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

33- अव्यवस्था धन की उपलब्धता तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त ही कार्य किये जायेगी।


अवर अभियन्ता
गन्ना विकास परिषद बहेड़ी


अवर अभियन्ता
गन्ना विकास परिषद बहेड़ी